



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

सं०-323-विप(21)पाकालि/2019-24-वीपी/2000

दिनांक: 8 मार्च, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के विरुद्ध वाणिज्यिक/गैर वाणिज्यिक वादों की पैरवी एवं नोटिस प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित अधिवक्ताओं को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से कारपोरेशन मुख्यालय का स्थायी अधिवक्ता नामित किया जाता है:-

क्र० सं०	अधिवक्ता का नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	अधिवक्ता पंजीयन सं०	वादों की प्रकृति
1	2	3	4	5
1.	बालेश्वर चतुर्वेदी	आर०एस० चौबे	यू०पी०-9619/02	वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक
2.	कृष्ण अग्रवाल	राजेश कुमार	यू०पी०-3593/04	वाणिज्यिक
3.	अमित कृष्णा	नरेन्द्र कुमार शर्मा	यू०पी०-4710/95	वाणिज्यिक
4.	अभिषेक श्रीवास्तव	टी०ए०एल० श्रीवास्तव	यू०पी०-7223/05	गैर वाणिज्यिक

उपरोक्त अधिवक्तागण इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गमन की तिथि से मार्च, 2022 तक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०) में स्थायी अधिवक्ता नामित रहेंगे, किन्तु उनकी नियुक्ति बिना नोटिस या कारण बताये एवं उनके द्वारा सम्पादित कार्यों की **Performance Report** के आधार पर कभी भी समाप्त की जा सकती है।

उपरोक्त अधिवक्तागण को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार फीस एवं पारिश्रमिक देय होगा एवं उनको कोई रिटेनरशिप अनुमत्य नहीं है तथा वे कारपोरेशन के विरुद्ध वादों की पैरवी नहीं करेंगे। यह आदेश उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के द्वारा समय-समय पर लागू की जाने वाली नीति एवं शर्तों के प्रतिबन्धाधीन है।

इस सम्बन्ध में कारपोरेशन (मु०) के पैनल पर पूर्व में नामित समस्त स्थायी अधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से पैनल से हटाया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या-323(1)वि०प०(21)/पाकालि/2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महा निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक/निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०) के निजी सचिव, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमशः.....2

5. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल, वि०वि०नि०लि०, मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ/केसको, कानपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त अधिकारी (विधि स्कन्ध)/अनुभाग, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उप विधि अधिकारी, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल, वि०वि०नि०लि०, मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. श्री बालेश्वर चतुर्वेदी, स्थायी अधिवक्ता, चैम्बर नं०-18, प्रयागराज (मो०नं०-9415251305) (E-mail baleshwar_bc@yahoo.com) को इस अभ्युक्ति सहित की वे पूर्व स्थायी अधिवक्ता से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियाँ प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
11. श्री कृष्ण अग्रवाल, स्थायी अधिवक्ता, 3-सी, तासकन्द मार्ग, प्रयागराज (मो०नं०-9415338826) (E-mail office.kagarwal@gmail.com) को इस अभ्युक्ति सहित की वे पूर्व स्थायी अधिवक्ता से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियाँ प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
12. श्री अमित कृष्णा, स्थायी अधिवक्ता, फ्लैट नं०-यू०एस०-403, अशोक विहार अपार्टमेन्ट, ब्लॉक ए, अशोक नगर, प्रयागराज (मो०नं०-9839051597) (E-mail meamit14@gmail.com) को इस अभ्युक्ति सहित की वे पूर्व स्थायी अधिवक्ता से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियाँ प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
13. श्री अभिषेक श्रीवास्तव, स्थायी अधिवक्ता, बी-406, म्यान इन्क्लेव, क्लाइव रोड, प्रयागराज (मो०नं०-9919327157) (E-mail abhishek.hc.adv@gmail.com) को इस अभ्युक्ति सहित की वे पूर्व स्थायी अधिवक्ता से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियाँ प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
14. समस्त पूर्व पैनल अधिवक्ताओं को इस अभ्युक्ति सहित कि वे कारपोरेशन वादो से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं पत्रावलियाँ सम्बन्धित इकाई/नामित अधिवक्ता को तत्काल हस्तगत कराकर कारपोरेशन को सूचित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(चंद्रोदय कुमार)
एच०जे०एस०
विधि अधिकारी



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

सं०-324-विप(21)पाकालि/2019-24-वीपी/2000

दिनांक: ८ मार्च, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के विरुद्ध वाणिज्यिक/गैर वाणिज्यिक वादों की पैरवी करने हेतु निम्नलिखित अधिवक्ताओं को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से कारपोरेशन (मु०) का पैनल अधिवक्ता नामित किया जाता है:-

क्र० सं०	अधिवक्ता का नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	अधिवक्ता पंजीयन सं०	वादों की प्रकृति
1	2	3	4	5
1.	शरद तिवारी	(स्व०) एस०एन० तिवारी	यू०पी०-1408/89	गैर वाणिज्यिक
2.	रजनीश कुमार सिंह	बैजनाथ सिंह	यू०पी०-1329/02	गैर वाणिज्यिक
3.	विक्रान्त रघुवंशी	(स्व०) आर०एस० सिंह रघुवंशी	यू०पी०-7172/04	वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक

उपरोक्त अधिवक्तागण इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गमन की तिथि से मार्च, 2022 तक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०) में पैनल अधिवक्ता नामित रहेंगे, किन्तु उनकी नियुक्ति बिना नोटिस या कारण बताये एवं उनके द्वारा सम्पादित कार्यों की Performance Report के आधार पर कभी भी समाप्त की जा सकती है।

उपरोक्त अधिवक्तागण को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार फीस एवं पारिश्रमिक देय होगा तथा वे कारपोरेशन के विरुद्ध वादों की पैरवी नहीं करेंगे। यह आदेश उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के द्वारा समय-समय पर लागू की जाने वाली नीति एवं शर्तों के प्रतिबन्धाधीन है।

इस सम्बन्ध में कारपोरेशन (मु०) के पैनल पर पूर्व में नामित समस्त पैनल अधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या-324(1)वि०प०(21)/पाकालि/2019 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ।
2. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक/निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०) के निजी सचिव, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमशः.....2

5. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल, वि०वि०नि०लि०, मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ/केस्को, कानपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त अधिकारी (विधि स्कन्ध)/अनुभाग, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उप विधि अधिकारी, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल, वि०वि०नि०लि०, मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. श्री शरद तिवारी, पैनल अधिवक्ता, बी-26, सेक्टर जे, अलीगंज, लखनऊ-24 (मो०नं०-9839066833) (E-mail tiwarisharad@gmail.com) को इस अभ्युक्ति सहित की वे पूर्व स्थायी अधिवक्ता से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियाँ प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
11. श्री रजनीश कुमार सिंह, पैनल अधिवक्ता, 192/23, अम्बिका विहार, सेक्टर जे, आशीयाना, लखनऊ-12 (मो०नं०-9935184618) (E-mail: lawrajnish@gmail.com) को इस अभ्युक्ति सहित की वे पूर्व स्थायी अधिवक्ता से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियाँ प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
12. श्री विक्रान्त रघुवंशी, पैनल अधिवक्ता, 1/104, सेक्टर डी, प्रियदर्शनी कालोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ-226020 (मो०नं०-9454395105) (E-mail vikrantraghuवंशी.adv@gmail.com) को इस अभ्युक्ति सहित की वे पूर्व स्थायी अधिवक्ता से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियाँ प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
13. समस्त पूर्व पैनल अधिवक्ताओं को इस अभ्युक्ति सहित कि वे कारपोरेशन वादो से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं पत्रावलियाँ सम्बन्धित इकाई/नामित अधिवक्ता को तत्काल हस्तगत कराकर कारपोरेशन को सूचित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(चंद्रोदय कुमार)
एच०जे०एस०
विधि अधिकारी



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

सं0-325-विप(21)पाकालि/2019-24-वीपी/2000

दिनांक: 8 मार्च, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के विरुद्ध वाणिज्यिक/गैर वाणिज्यिक वादों की पैरवी करने हेतु निम्नलिखित अधिवक्ताओं को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से कारपोरेशन (मु0) का पैनल अधिवक्ता नामित किया जाता है:-

क्र0 सं0	अधिवक्ता का नाम सर्वश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	अधिवक्ता पंजीयन सं0	वादों की प्रकृति
1	2	3	4	5
1.	आदित्य भूषण सिंघल	रवि भूषण सिंघल	यू0पी0-6782/08	वाणिज्यिक
2.	प्रांजल मेहरोत्रा	एस0पी0 मेहरोत्रा	यू0पी0-4368/07	वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक
3.	गौरी शंकर यादव	जवाहर लाल यादव	यू0पी0-1102/02	वाणिज्यिक
4.	संजय चतुर्वेदी	राधे श्याम चौबे	यू0पी0-2562/99	वाणिज्यिक
5.	सुश्री रुषा किरन	(स्व0) सोहन लाल	यू0पी0-1729/88	वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक
6.	पर्व अग्रवाल	आर0के0 अग्रवाल	यू0पी0-4288/08	गैर वाणिज्यिक
7.	अनय कुमार श्रीवास्तव	राधे कृष्ण श्रीवास्तव	यू0पी0-5820/02	गैर वाणिज्यिक
8.	(डा0) श्री संतोष कुमार शुक्ला	सुभाष चन्द्र शुक्ला	यू0पी0-6114/01	गैर वाणिज्यिक
9.	उदय चंदानी	के0एल0के0 चंदानी	यू0पी0-3705/04	वाणिज्यिक
10.	श्रीमती निधि सिंह	पवन जायसवाल	यू0पी0-3507/03	गैर वाणिज्यिक
11.	सुनील कुमार त्रिपाठी	(स्व0) उमेश चन्द्र त्रिपाठी	यू0पी0-607/77	गैर वाणिज्यिक
12.	धर्मेन्द्र सिंह चौहान	नेत्र पाल सिंह चौहान	यू0पी0-2627/98	गैर वाणिज्यिक

उपरोक्त अधिवक्तागण इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गमन की तिथि से मार्च, 2022 तक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मु0) में पैनल अधिवक्ता नामित रहेंगे, किन्तु उनकी नियुक्ति बिना नोटिस या कारण बताये एवं उनके द्वारा सम्पादित कार्यों की **Performance Report** के आधार पर कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्रमशः.....2 एवं 3

उपरोक्त अधिवक्तागण को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार फीस एवं पारिश्रमिक देय होगा तथा वे कारपोरेशन के विरुद्ध वादों की पैरवी नहीं करेंगे। यह आदेश उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के द्वारा समय-समय पर लागू की जाने वाली नीति एवं शर्तों के प्रतिबन्धाधीन है।

इस सम्बन्ध में कारपोरेशन (मु0) के पैनल पर पूर्व में नामित समस्त पैनल अधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है।

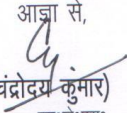
प्रबन्ध निदेशक

संख्या-325(1)वि0प0(21)/पाकालि/2019 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- | | |
|-------------|---|
| स्पीड पोस्ट | 1. महा निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। |
| स्पीड पोस्ट | 2. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ। |
| स्पीड पोस्ट | 3. प्रबन्ध निदेशक/निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0) के निजी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ। |
| स्पीड पोस्ट | 4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ। |
| | 5. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल, वि0वि0नि0लि0, मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ/केस्को, कानपुर। |
| स्पीड पोस्ट | 6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ। |
| स्पीड पोस्ट | 7. समस्त अधिकारी (विधि स्कन्ध)/अनुभाग, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ। |
| स्पीड पोस्ट | 8. उप विधि अधिकारी, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल, वि0वि0नि0लि0, मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ। |
| स्पीड पोस्ट | 9. अधिशाशी अभियन्ता वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ। |
| स्पीड पोस्ट | 10. श्री आदित्य भूषण सिंघल, पैनल अधिवक्ता, 200 लुकरगंज, प्रयागराज (मो0नं0-9918632170) (E-mail: absinghal@gmail.com) |
| स्पीड पोस्ट | 11. श्री प्रांजल मेहरोत्रा, पैनल अधिवक्ता, 34 ताशकन्द सिविल लाइन्स, प्रयागराज-211001 (मो0नं0-9453011277) (E-mail: pranjal.mehrotra@gmail.com) |
| स्पीड पोस्ट | 12. श्री गौरी शंकर यादव, पैनल अधिवक्ता, 1/14, ई0डब्ल्यू0एस0 कालोनी, शिवनगर, अल्लापुर, प्रयागराज (मो0नं0-9415953217) (E-mail: yadavgaury@yahoo.com) |
| स्पीड पोस्ट | 13. श्री संजय चतुर्वेदी, पैनल अधिवक्ता, 17, एम0आई0जी0, ए0डी0ए0 कालोनी, ममफोर्टगंज, प्रयागराज-211002 (मो0नं0-9415310439) (E-mail: sanjay0000adv@gmail.com) |
| स्पीड पोस्ट | 14. सुश्री ऊषा किरन, पैनल अधिवक्ता, 54-बी, स्ट्रेची रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, (मो0नं0-9415235046) (E-mail: ushakiran.1962@gmail.com) |
| स्पीड पोस्ट | 15. श्री पर्व अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता, 8/16, लोथर रोड, जार्ज टाउन, प्रयागराज, (मो0नं0-9839095250) (E-mail: parvagarwal@gmail.com) |
| स्पीड पोस्ट | 16. श्री अनय कुमार श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता, चैम्बर नं0-13, त्रिभुवन उपाध्याय हॉल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, (मो0नं0-9415268576) (E-mail: anaykumars@yahoo.com) |
| स्पीड पोस्ट | 17. (डा0) श्री संतोष कुमार शुक्ला, पैनल अधिवक्ता, 41 एक्स, ओल्ड बिल्डिंग, प्रयागराज (मो0नं0-9918117766, 9415704694) (E-mail: aksbhualw@gmail.com) |
| स्पीड पोस्ट | 18. श्री उदय चंदानी, पैनल अधिवक्ता, एस0एफ0-2, 10डी, लोहिया मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज (मो0नं0-9935844111) (E-mail: udaychandani@gmail.com) |

19. श्रीमती निधि सिंह, पैनल अधिवक्ता, जी-आई-31, कालिन्दीपुरम, फेस-2, प्रयागराज-211011
(मो0नं0-9415308221) (E-mail cmadrpawanjaiswal@yahoo.co.in)
- स्पीड पोस्ट 20. श्री सुनील कुमार त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता, ए-1, फर्स्ट फ्लोर, अवतार अपार्टमेन्ट, धुमण्ड रोड, प्रयागराज
(मो0नं0-9415227368) (E-mail adv.suniltripathi@gmail.com)
- स्पीड पोस्ट 21. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान, पैनल अधिवक्ता, चैम्बर नं0-139, न्यू बिल्डिंग, हाई कोर्ट, इलाहाबाद
(मो0नं0-9336895413) (E-mail dschauhanadv@gmail.com)
- स्पीड पोस्ट 22. समस्त पूर्व पैनल अधिवक्ताओं को इस अभ्युक्ति सहित कि वे कारपोरेशन वादो से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं पत्रावलियाँ सम्बन्धित इकाई/नामित अधिवक्ता को तत्काल हस्तगत कराकर कारपोरेशन को सूचित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(चंद्रोदय कुमार)
एच0जे0एस0
विधि अधिकारी



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN:U32201UP1999SGC024928

सं०-326-विप(21)पाकालि/2019-24-वीपी/2000

दिनांक: 8 मार्च, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के विरुद्ध वाणिज्यिक/गैर वाणिज्यिक वादों की पैरवी एवं नोटिस प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित अधिवक्ताओं को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से कारपोरेशन मुख्यालय का स्थायी अधिवक्ता नामित किया जाता है:-

क्र० सं०	अधिवक्ता का नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	अधिवक्ता पंजीयन सं०	वादों की प्रकृति
1	2	3	4	5
1.	नीरव चित्रवंशी	आर०एस० चित्रवंशी,	यू०पी०-5372/2001	वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक
2.	मनीष जौहरी	(स्व०) कैलाश चन्द्र जौहरी	यू०पी०-3997/1999	वाणिज्यिक

उपरोक्त अधिवक्तागण इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गमन की तिथि से मार्च, 2022 तक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०) में स्थायी अधिवक्ता नामित रहेंगे, किन्तु उनकी नियुक्ति बिना नोटिस या कारण बताये एवं उनके द्वारा सम्पादित कार्यों की **Performance Report** के आधार पर कभी भी समाप्त की जा सकती है।

उपरोक्त अधिवक्तागण को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार फीस एवं पारिश्रमिक देय होगा एवं उनको कोई रिटेनरशिप अनुमन्य नहीं है तथा वे कारपोरेशन के विरुद्ध वादों की पैरवी नहीं करेंगे। यह आदेश उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के द्वारा समय-समय पर लागू की जाने वाली नीति एवं शर्तों के प्रतिबन्धाधीन है।

इस सम्बन्ध में कारपोरेशन (मु०) के पैनल पर पूर्व से नामित समस्त स्थायी अधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से पैनल से हटाया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या-326(1)वि०प०(21)/पाकालि/2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपनिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ।
2. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक/निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०) के निजी सचिव, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमशः.....2

5. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल, वि०वि०नि०लि०, मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ/केस्को, कानपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त अधिकारी (विधि स्कन्ध)/अनुभाग, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उप विधि अधिकारी, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल, वि०वि०नि०लि०, मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. श्री नीरव चित्रवंशी, स्थायी अधिवक्ता, सूर्याश्रय, 75/1, गंगा प्रसाद रोड, लखनऊ-226018 (मो०नं०-9335203217, 8127961270) (E-mail nchitravanshi@gmail.com) को इस अभ्युक्ति सहित की वे पूर्व स्थायी अधिवक्ता से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियाँ प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
11. श्री मनीष जौहरी, स्थायी अधिवक्ता, 38, प्रेमलोक हमीरनगर लखनऊ-226004, (मो०नं०-9335048261) (E-mail jauharimanish5@gmail.com) को इस अभ्युक्ति सहित की वे पूर्व स्थायी अधिवक्ता से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियाँ प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
12. समस्त पूर्व पैनल अधिवक्ताओं को इस अभ्युक्ति सहित कि वे कारपोरेशन वादो से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं पत्रावलियाँ सम्बन्धित इकाई/नामित अधिवक्ता को तत्काल हस्तगत कराकर कारपोरेशन को सूचित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(चंद्रोदय कुमार)

रुचि०जे०एस०

विधि अधिकारी